| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.110/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28-7.2023 | पत्रावली पेश हुई। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी घेवरराम पुत्र भोपाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री आई माता हमेर हाईवे होटल, सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित।<br>आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.3.2023 को फर्म श्री आई माता हमेर हाईवे होटल, सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी घेवरराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही का नमूना संख्या S-2020 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./642/Act/2023/686 दिनांक 29.3.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी घेवरराम ने इस न्यायालय में आज दिनांक 27.7.2023 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने अमूल दूध से दही बनाया था जिसमें उसने कोई मिलावट नही की गई है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।<br>हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने दिनांक 14.3.2023 को फर्म श्री आई माता हमेर हाईवे होटल, सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी घेवरराम से उक्त होटल में आम जनता के उपयोग हेतु बर्तन में रखे हुए खाद्य पदार्थ दही लगभग 20 किलोग्राम में से 01 किलोग्राम दही को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ दही के नमूना संख्या S-2020 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./642/Act/2023/686 दिनांक 29.3.2023 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी घेवरराम ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का [illegible] किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।<br>......लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.110/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही के विक्रय हेतु प्रतिवादी घेवरराम पुत्र भोपाराम प्रजापत, जाति–प्रजापत, निवासी– सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री आई माता हमेर हाईवे होटल, सिन्दरथ, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी घेवरराम को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.9.2023 को पेश हो।<br><br>(के.आर.खौड़)<br>अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट<br>सिरोही | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:13:17 IST
Reason: SelfAttested